ई-मेल

संख्या-31/2024/745/एक-1-2024-1-1/41/2024-रा0-1

प्रेषक,

राम रतन,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

राजस्व अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांकः 20 सितम्बर, 2024**

विषयः- मेसर्स गैलेन्ट इस्पात लि0 को इन्टीग्रेटेड स्टील प्लांट की स्थापित किये जाने हेतु ग्राम कपसौर, तिगोड़ा, पहाड़ी भोजपुर एवं देवाही, तहसील सदर, जिला मीरजापुर में विहित सीमा से अधिक भूमि क्रय की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2094/जि0भू0व्य0जि0/2024 दिनांक-27.08.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मेसर्स गैलेन्ट इस्पात लि0 को इन्टीग्रेटेड स्टील प्लांट की स्थापित किये जाने हेतु ग्राम कपसौर, तिगोड़ा, पहाड़ी भोजपुर एवं देवाही, तहसील सदर, जिला मीरजापुर में विहित सीमा से अधिक भूमि क्रय करने की अनुमति का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (यथा संशोधित) की धारा-89 की उपधारा-4 में वर्णित व्यवस्था के आलोक में राज्यपाल महोदया मेसर्स गैलेन्ट इस्पात लि0 को इन्टीग्रेटेड स्टील प्लांट की स्थापित किये जाने हेतु ग्राम कपसौर, तिगोड़ा, पहाड़ी भोजपुर एवं देवाही, तहसील सदर, जिला मीरजापुर में विहित सीमा से अधिक 303.00हे0 भूमि क्रय करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(1) मेसर्स गैलेन्ट इस्पात लि0 को इन्टीग्रेटेड स्टील प्लांट की स्थापना हेतु भूमि का संक्रमण अधिकृत संस्था के नाम भूमिधरों से आपसी सहमति के आधार पर किया जायेगा। यह आदेश किसी भी भूमिधर को उसकी भूमि को विक्रय हेतु बाध्य नहीं करता है।

(2) यदि संस्था 89 की उपधारा-(4) के अधीन अनुज्ञा प्रदान किये जाने के दिनांक से 05 वर्ष की अवधि के भीतर परियोजना स्थापित करने में विफल रहता है, तो उक्त अनुज्ञा व्यपगत हो जायेगी और राजस्व संहिता की धारा-89(2) के अधीन विहित सीमा से अधिक अर्जित अथवा क्रय की गयी भूमि राज्य सरकार में निहित हो जायेगी तथा धारा-105 के परिणाम लागू हो जायेंगे।

(3) प्रश्नगत भूमि का उपयोग निर्धारित प्रयोजन से भिन्न उपयोग पर अनुमति शून्य समझी जायेगी और प्रश्नगत भूमि समस्त भारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो जायेगी।

(4) अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों की भूमियों का संक्रमण उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा-99/98 तथा अन्य संगत शासनादेशों/नियमों के अधीन होगा।

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) संस्था के अध्यक्ष/सचिव अथवा किसी अन्य पदाधिकारी/अधिकृत पदाधिकारी द्वारा भूमि का कोई भी भाग किसी संस्था/व्यक्ति को किसी भी रूप में शासन की पूर्वानुमति के बिना हस्तांतरण/विक्रय नहीं किया जायेगा।

(6) आवेदक कंपनी अपनी आवश्यकता की भूमियों का क्रय इस प्रकार करे कि पहाड़ खाते की भूमि, कंपनी द्वारा क्रय की गई भूमियों के मध्य न पड़े, क्योंकि पहाड़ खाते की भूमि सुरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आती है।

(7) संस्था द्वारा क्रय की गयी भूमि के मध्य स्थित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबंधन में निहित भूमि का पुनर्ग्रहण/विनिमय का प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर स्पष्ट संस्तुति सहित सक्षम अधिकारी को अलग से उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर संस्था की 5.0586हेक्टेअर से अधिक भूमि को राज्य सरकार में निहित कर लिया जायेगा तथा निहितन के बदले कोई प्रतिकर नहीं दिया जायेगा।

(9) जिलाधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 (यथा संशोधित) की धारा-89 में वर्णित व्यवस्था एवं समय-समय पर निर्गत एतत् विषयक शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) संस्था द्वारा क्रय हेतु प्रस्तावित भूमियों के अधिकार, हित व स्वत्व की वैधता की जांच आधार वर्ष से जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

(11) पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन सम्बन्धी भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार/प्राधिकरणों/मा0 न्यायालयों/मा0 न्यायाधिकरणों आज के निर्णय/प्रावधान उक्त भूमियों, उन पर स्थापित संरचनाओं और कार्यकलापों पर लागू होगा।

(12) उपरोक्त सभी शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन औद्योगिक विकास विभाग तथा जिलाधिकारी, मीरजापुर द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

राम रतन

विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

(2) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

(3) आयुक्त, मीरजापुर मण्डल, मीरजापुर।

(4) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, मेसर्स गैलेन्ट इस्पात लि0, पता-गीडा सहजनवां, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश-273209।

(5) गार्ड फाइल।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in